

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :- 20/2018 (Rcms no. 2018/00029)

उनवानी प्रकरण :-

1. बेताल पुत्र धान्धू जाति ठाकुर निवासी बौरेली तहसील बसेडी —————अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ————— रेस्पोंडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.2.2018

तहसीलदार बसेडी प्र. स. 412/2018

उनवानी राज0 सरकार बनाम बेताल

अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से :- श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।

2. रेस्पोंडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :- 05.06.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 12.2.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि पटवारी हल्का बौरेली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बौरेली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 164/150 रकवा 0.15 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम फसल रवि सम्वत् 2074 में सरसो बोकर अपीलान्ट ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को बिना सुने 153/-रूपये का जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील नही कराई एवं ना ही अपीलान्ट को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर रविकुमार पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर कराकर तामील मान ली है जबकि अपीलान्ट का पुत्र गाँव में नही रहता है, वह शहर में रहकर काम करता है। नोटिस पर अपीलान्ट के पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर है यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के


(नन्मल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर



विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर बयान दिया एवं अपीलान्त को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि अपीलान्त का कितने वर्ष पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलान्त द्वारा कब्जा किया गया था तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान किया है। अपीलान्त समाज में सम्मान जनक/प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो कायदा कानून का सम्मान करना जानता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय की जानकारी पुलिस थाना बसेडी के जरिये दिनांक 12.4.2018 को हुई। विवादित आराजी पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्त का पूर्व कब्जा मानकर दिनांक 24.3.2007 को नियम 21 "दी राजस्थान कॉलोनाईजेशन मीडियम माइजर इरीगेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेण्ड अलोटमेंट रूल्स 1968 के तहत नियमन की सिफारिस की है एवं कब्जे को पुष्ट करते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति दी है। इस प्रकार अपीलान्त ने तहसीलदार बसेडी के द्वारा नियमन की सिफारिस होने पर विवादित आराजी में फसल की है जबरदस्ती फसल नहीं की है इस प्रकार अपीलान्त अतिक्रमी नहीं है ऐसे अतिक्रमियों की सजा नहीं की जा सकती है अभी तक नियमन की पत्रावली उपखण्डाधिकारी बसेडी के समक्ष विचाराधीन है। निरस्त नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 12.2.2018, प्रारूप -3 में निर्धारित नोटिस की प्रति, आर्डरशीट दिनांक 15.1.2018 व 12.2.2018 की प्रतिलिपि, नियमन करने की सिफारिस की आर्डरशीट 08.3.2007 से 24.3.2007 तक की फोटो प्रति, तहसीलदार बसेडी के पत्र क्रमांक: 180 दिनांक 28.3.2007 की फोटो प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्त को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने 153/-रूपये का जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्त को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्त को सुना गया अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर रविकुमार पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर कराकर तामील मान ली है जबकि अपीलान्त का पुत्र गाँव में रहता ही नहीं है वह शहर में रह कर काम करता है।


(नन्मूल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर



जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कायदा कानून नहीं जानता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 12.04.2018 को पुलिस के जरिये हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजी पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्ट का पूर्व कब्जा मानकर दिनांक 23.3.2007 को नियम 21 "दी राजस्थान कॉलोनाईजेशन मीडियम माइजर इरीगेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेण्ड अलोटमेंट रूल्स 1968 के तहत नियमन की सिफारिस की है एवं कब्जे को पुष्ट करते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति दी है। इस प्रकार अपीलान्ट ने तहसीलदार बसेडी के द्वारा नियमन की सिफारिस होने पर विवादित आराजी में फसल की है जबरदस्ती फसल नहीं की है इस प्रकार अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है ऐसे अतिक्रमियों की सजा नहीं की जा सकती है अभी तक नियमन की पत्रावली उपखण्डाधिकारी बसेडी के समक्ष विचाराधीन है। निरस्त नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने आर एल डब्लू 2008(1)आरजे पेज संख्या 670 की नजीर पेश की जिसमें यह प्रति पादित किया गया है कि "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 - सरकारी भूमि पर अधिकमण तहसीलदार ने बेदखल करते हुए 200 /-रूपये की शास्ति अधिरोपित कर दो माह की कैद की सजा दी - सरकारी परिपत्रों दिनांक 1.4.1991 एवं 16.10.2001 की दृष्टि से नियमित करने की प्रार्थना की - उच्च न्यायालय ने बेदखली पर रोक लगाई थी अतः उसके कब्जे के नियमन हेतु मामले पर विचार नहीं किया गया। प्रार्थीगण भूमि के नियमन हेतु सम्पूर्ण प्रकिया का अनुसरण करने के लिए तत्पर है- अभिनिर्धारित - इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कब्जा पुराना है एवं तहसीलदार द्वारा पारित किये गये आदेश को 16 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है - नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार नियमन हेतु प्रकरण पर विचार करने के निर्देश दिये एवं तब तक उसके बेदखल नहीं किया जावे। याचिका स्वीकार की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे।

रैस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील उनके पुत्र रविकुमार के फर्जी हस्ताक्षर कराकर मान ली है। क्योंकि इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह


(नन्नुमल पेहाडिया)
जिला कलक्टर
धीलपुर



कथन कि अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता अपीलान्त बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुये । अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि विवादित आराजी का तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्त के पक्ष में नियमन कराये जाने का प्रकरण सिफारिस के साथ उपखण्डाधिकारी बसेडी को भेजा है जो विचाराधीन है जब तक प्रक्रिया लम्बित है तब तक सजा नहीं दी जा सकती है उचित नहीं है क्योंकि नियमन की कार्यवाही एक पृथक कार्यवाही है नियमन सिफारिस मात्र करने से मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है जब तक नियमन नहीं हो जाता तब कि अपीलान्त अतिकमी की परिभाषा में आयेगा। तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्त के हक में आराजी खसरा नम्बर 150 मिन रकवा 1 बीघा की नियमन की सिफारिश की गई है। जबकि अपीलान्त का अतिकमण आराजी खसरा नम्बर 164/150 रकवा 0.15 हैक्टेयर पर है। इस प्रकार अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि उसके हक में तहसीलदार बसेडी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर के नियमन की सिफारिश की है अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्त विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य को अपीलान्त ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्त का पूर्व कब्जा मानकर नियमन की सिफारिस की है ।
2. अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि तामील पर उसके पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर हैं। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये हैं।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस तथ्य के सम्बन्ध में अपीलान्त बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था ।
4. अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि विवादित आराजी का तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्त के पक्ष में नियमन कराये जाने का प्रकरण सिफारिस के साथ उपखण्डाधिकारी बसेडी को भेजा है जो विचाराधीन है जब तक प्रक्रिया लम्बित है तब तक सजा नहीं दी जा सकती है उचित नहीं है तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्त के हक में आराजी खसरा नम्बर 150 मिन रकवा 1 बीघा की नियमन की सिफारिश की गई है। जबकि अपीलान्त का


(नन्मल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर



अतिक्रमण आराजी खसरा नम्बर 164/150 रकवा 0.15 हैक्टेयर पर है। इस प्रकार अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि उसके हक में तहसीलदार बसेडी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर के नियमन की सिफारिश की है।

5. यह तथ्य ही है कि नियमन की कार्यवाही एक पृथक कार्यवाही है नियमन की सिफारिस मात्र करने से अतिक्रमी को अतिक्रमण आराजी पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है जब तक नियमन नहीं हो जाता तब कि अपीलान्ट अतिक्रमी की परिभाषा में आयेगा।
6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चर्चा नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर, धूलपुर
जिला कलक्टर
धूलपुर